मूल वाद में डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :– शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

भालसिंह पुत्र हवासिंह जाति बिश्नोई निवासी 5 MSR सरदारगढ़िया बनाम 1. हवासिंह पुत्र रामरख 2. सुरेश कुमार 3 रमेशकुमार 4. सरीना पुत्र-पुत्रिया हवासिंह जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढ़िया 5. राज० सरकार जरिये तहसीलदार भादरा 6. ICICI बैंक भादरा

दावा बाबत :– 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :–

निर्णय दिनांक :– 11/12/2021

वादी की ओर से वकील श्रवण सहारण I की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्रवणसहारण II की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11/12/2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि चक 3 MSR के खाता संख्या 248/221 के मु. नं. 122 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 17 ता 19, 20/1 की कुल 4.7820 है० में प्रतिवादी हवासिंह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार चक 5 MSR के खाता संख्या 113/105 के मु० नं. 30 के किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.325 है० में प्रतिवादी हवासिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी स०1 हवासिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी भालसिंह व प्रतिवादी स. 2 सुरेश कुमार, प्रतिवादी स० 3 रमेश कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी स० 1 व 4 ने सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी स. 2 व 3 के पक्ष में तर्क कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो। यदि भूमि बैंक के रहन दर्ज हो तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शकुंतला चौधरी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़